कार्यालय जिला न्यायाधीश चमोली–गोपेश्वर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 30 /2024

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड की अधिसूचना संख्या–354/UHC/Admin.A-2/2024, dated 21.09.2024 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांकित 05.07.2024 के द्वारा पारिवारिक न्यायालय, चमोली का गठन किया गया है जिसके उपरान्त सभी लंबित पारिवारिक वाद अब सिविल जज (सी0 डि0) के न्यायालय से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुपालन में यह निर्देश दिया जाता है कि सिविल जज (सी0डी0) चमोली एवं सिविल जज (सी0डी0) कर्णप्रयाग के न्यायालयों में लंबित पारिवारिक वादों का स्थानांतरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के न्यायालय में तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए। स्थानांतरित वादों की सुनवाई उसी अवस्था से जारी रखी जाएगी, जिस अवस्था में वे वर्तमान में लंबित हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांकः– 23·09·2024

23.09.2024

जिला न्यायाधीश,
चमोली।